न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 01/2023 शस्त्र अधिनियम
GCMS No. 2024/11

अनवानी :— हरनामदीप सिंह पुत्र श्री हरकृष्ण सिंह जाति जट सिक्ख निवासी वार्ड नं. 10, गदरखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

———अपीलान्ट

—बनाम—

राजस्थान राज्य।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री ज्ञानसिंह अभिभाषक अपीलांट
श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ अभियोजन अधिकारी राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 21.07.2025

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 05.01.2023, जिसके द्वारा अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 197/2012 जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर से जारी है, जिस पर 12 बोर गन व 32 बोर रिवॉल्वर दर्ज है। उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 11.07.2022 तक नवीनीकृत था। अपीलांट ने उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण के लिए दिनांक 14.06.2022 को जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.07.2022 को प्रेषित की। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2023 पारित कर अपीलांट के आवेदन पत्र दिनांक 14.06.2022 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2022 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 197/2012 जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर से जारी है, जिस पर 12 बोर गन व 32 बोर रिवॉल्वर दर्ज है। उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 11.07.2022 तक नवीनीकृत था। अपीलांट ने उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण के लिए दिनांक 14.06.2022 को जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.07.2022 को प्रेषित की, जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 406, 498ए भा.द.सं. का मुकदमा पुलिस थाना लम्बी (पंजाब) में दर्ज होना बताया गया। पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की उक्त रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र आगामी आदेश तक निलंबित किये जाने का आदेश पारित किया। अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी पवनदीप कौर के मध्य विवाद चल रहा है, अपीलार्थी की विवाह विच्छेद की याचिका पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलार्थी की पत्नी ने मनगढ़ंत व झूठे तथ्यों के आधार पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2021 अपराध धारा 406, 498ए भा.द.सं. पुलिस थाना लम्बी (पंजाब) में दर्ज करवा दी। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक न्यायालय में आरोप सन्देह से परे साबित नहीं हो जाते तब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रकरण किसी भी पुलिस थाने में दर्ज नहीं है। अपीलार्थी एक शांतिप्रिय व्यक्ति है। अपीलार्थी ने इन समस्त तथ्यों से जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर को अवगत कराया था, जिन पर जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा गौर न कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2023 को निरस्त कर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने का आदेश फरमावें।

5. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 197/2012 के नवीनीकरण से संबंधित आवेदन पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.01.2023 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 05.07.2022 को मध्यनजर रखते हुए पारित किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की उक्त रिपोर्ट में अपीलांट के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2021 अपराध धारा 406, 498ए भा.द. सं. पुलिस थाना लम्बी (पंजाब) में दर्ज होने के कारण अपीलांट के शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण किया जाना अनुचित बताया गया हैं, जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2023 यथावत रखा जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2023 पारित करते हुए प्रार्थी अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने बाबत किये गये आवेदन को खारिज कर अपीलाधीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निलंबित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए पारित किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.07.2022 में उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र धारक के विरूद्ध धारा 406, 498 ए आई.पी.सी. पैंडिंग कोर्ट होना अंकित करते हुए नवीनीकरण किया जाना अनुचित बताया है। उक्त. परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2023 न्यायोचित है। हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2023 यथावत रखा जाता हैं।

7. तदानुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय दिनांक 21.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर